कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 21/2020-21/

दिनांक : /03/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद - लक्सर,

जनपद – हरिद्वार।

विषय : नगर पालिका परिषद- लक्सर, जनपद- हरिद्वार के 04/2017 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **01** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **08** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 22 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 21/2020-21/ दिनांक: /03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, शहरी विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
3- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 21/2020-21</u>

निरीक्षण आख्या **कार्यालय, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नित्यानंद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री लक्ष्मण सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.12.2017 से 04.01.2018 तक सम्पन्न की गयी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा संपन्न की गई थी।

1. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **07.00 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **25,654**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **11**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **07 बैठकें**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **13**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **12 दुकानें, 02 बारातघर एवं 03 कार्यालय भवन**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर।

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2017-18

(`)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	3521000	8841000	12362000	6374168	5987832
2	राज्य वित्त आयोग	1702838.77	62000740	63703578.77	40205258	23498320.77
3	अवस्थापना विकास निधि (old)	5576871	207730	5784601	0	5784601
4	अवस्थापना विकास निधि	107407	1139	108546	17	108528.84
5	स्वच्छ भारत मिशन	0	1061021	1061021	211128	849893
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	13840000	459170	14299170	0	14299170
7	रैन बसेरा	341114	94915	436029	384852	51177
8	पालिका निधि (HDFC)	5325	449526	454851	219496	235355
9	पालिका निधि (Indian Overseas bank)	623016	3603032	4226048	3274824	951223.31
10	पालिका निधि (SBI)	10855028	16965809	27820837	15891189	11929648.6
11	Post office a/c	2202	0	2202	0	2202
	योग	**36574801.77**	**93684082**	**130258883.8**	**66560932**	**63697951.52**

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2018-19

(`)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	5987832	19944000	25931832	12984242	12947590
2	राज्य वित्त आयोग	23498320.77	71634000	95132320.77	49614593	45517727.77
3	अवस्थापना विकास निधि (old)	5784601	112334	5896935	4204139	1692796
4	अवस्थापना विकास निधि	108529	6936	115465	124	115341
5	स्वच्छ भारत मिशन	849893	156057	1005950	365160	640790
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	14299170	19441827	33740997	29840000	3900997
7	रैन बसेरा	51177	906978	958155	907370	50785
8	पालिका निधि (HDFC)	235355	2872083	3107438	2995236	112202
9	पालिका निधि (Indian Overseas bank)	951224	794458	1745682	690002	1055680
10	पालिका निधि (SBI)	11929648	15362212	27291860	24979093	2312767
11	Post office a/c	2202	0	2202	0	2202
12	पालिका निधि (Indian bank)	0	2505303	2505303	264140	2241163
	योग	**63697951.77**	**133736188**	**197434139.8**	**126844099**	**70590039.82**

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2019-20

(`)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	12947590	17133000	30080590	12392080	17688510
2	राज्य वित्त आयोग	45517727.77	69273000	114790727.8	63270031	51520696.77
3	अवस्थापना विकास निधि (old)	1692796	53348	1746144	0	1746144
4	अवस्थापना विकास निधि	115341	3952	119293	88.5	119204.5
5	स्वच्छ भारत मिशन	640790	4255420	4896210	1777781	3118429
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	3900997	16607611	20508608	18680000	1828608
7	रैन बसेरा	50785	1805	52590	0	52590
8	पालिका निधि (HDFC)	112202	2825606	2937808	2759315	178493
9	पालिका निधि (Indian Overseas bank)	1055680	167580	1223260	856146	367114
10	पालिका निधि (SBI)	2312767	6707075	9019842	7909324	1110518
11	Post office a/c	2202	0	2202	0	2202
12	पालिका निधि (Indian bank)	2241163	70351	2311514	1465622	845892
13	NULM	0	1655906	1655906	540882	1115024
	योग	**70590040.77**	**118754654**	**187688788.8**	**109651269.5**	**79693424.64**

कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर, हरिद्वार

केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण वर्ष 2017-18

(`)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	3521000	8841000	12362000	6374168	5987832
2	स्वच्छ भारत मिशन	0	1061021	1061021	211128	849893
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	13840000	459170	14299170	0	14299170
	योग	**17361000**	**10361191**	**27722191**	**6585296**	**21136895**

केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण वर्ष 2018-19

(`)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	5987832	19944000	25931832	12984242	12947590
2	स्वच्छ भारत मिशन	849893	156057	1005950	365160	640790
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	14299170	19441827	33740997	29840000	3900997
	योग	**21136895**	**39541884**	**60678779**	**43189402**	**17489377**

केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण वर्ष 2019-20

(`)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	12947590	17133000	30080590	12392080	17688510
2	स्वच्छ भारत मिशन	640790	4255420	4896210	1777781	3118429
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	3900997	16607611	20508608	18680000	1828608
4	NULM	0	1655906	1655906	540882	1115024
	योग	**17489377**	**39651937**	**55485408**	**33390743**	**23750571**

<u>भाग दो (अ)</u>

प्रस्तर-01: धनराशि ₹ 52.11 लाख का व्यपवर्तन।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा कार्यालय नगर पालिका परिषद, लक्सर को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवमुक्त धनराशियों का उपयोग जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानो के रख-रखाव हेतु किया जाएगा।

कार्यालय **नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** के 14वें वित्त आयोग से सम्बन्धित कराए गए कार्यों की लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान पालिका कार्यालय, ट्रंचिंग ग्राउण्ड, मैरिज हाउस एवं स्ट्रीट लाईटों के विद्युत बिलों पर ₹ 52.11 लाख (₹ 2421904 + ₹ 2789197) के भुगतान किए गए थे। इकाई द्वारा किया गया उक्त भुगतान 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत था साथ ही धनराशि का व्यपवर्तन भी है। कार्यालय नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार द्वारा इन कार्यों के सम्बन्ध में पृथक से कोई दिशा-निर्देश लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह पुष्टि की जा सके कि उक्त व्यय नियमानुसार 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ही स्वीकृत किए गए थे।

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त बिलों का किया गया भुगतान 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के वितरीत था।

इस प्रकार, धनराशि ₹ 52.11 लाख के व्यपवर्तन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-01: विभिन्न मदों में प्राप्त ₹ 1975.86 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या: 1384/(1)/XXVII(1)/2017 दिनांक 29 दिसंबर 2017, 684/(1)/XXVII(1)/2017 दिनांक15 जुलाई 2017, 834/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2017 दिनांक 28 अगस्त 2017, 1005/(1)/XXVII(1)/2017 दिनांक 06 अक्तूबर 2017 एवं 458/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 01 जुलाई 2019 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत, संख्या: 486/XXVII(1)2018 दिनांक 24 मार्च 2018 द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत, कार्यालय नगर पालिका परिषद, लक्सर को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान निम्नलिखित मदों में धनराशि अवमुक्त की गयी थी:-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2017-18		
क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**प्राप्त धनराशि**
1	14वां वित्त आयोग	88.41
2	राज्य वित्त योजना	620.01
3	स्वच्छ भारत मिशन	10.61
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	4.59
	योग	**723.62**
वित्तीय वर्ष 2018-19		
1	14वां वित्त आयोग	199.44
2	राज्य वित्त योजना	716.34
3	स्वच्छ भारत मिशन	01.56
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	194.42
	योग	**1111.76**
वित्तीय वर्ष 2019-20		
1	14वां वित्त आयोग	171.33
2	राज्य वित्त योजना	692.73
3	स्वच्छ भारत मिशन	42.55
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	166.08
	योग	**1072.69**
	कुल योग (2017-18+2018-19+2019-20)	**2908.07**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** ने बताया की **932.21** लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए है, उक्त के अतिरिक्त सभी के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रेषित किए जाएंगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को प्राप्त सभी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये जाने चाहिए थे।

इस प्रकार, विभिन्न मदों में प्राप्त **₹ 1975.86** लाख **(2908.07-932.21)** की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-02: जिला न्यास अंशदान की धनराशि ₹ 78683/- की कटौती कर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा नहीं कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12 जनवरी 2015 को प्रवत्त हुई समझी जाएगी। उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का **25 *प्रतिशत*** अतिरिक्त रूप में जमा किया जाएगा।

कार्यालय, **नगर पालिका परिषद, लक्सर** के निर्माण कार्यों के नमूना लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान अवस्थापना विकास निधि, केन्द्रीय वित्त योजना एवं राज्य वित्त योजना आदि योजनाओं के माध्यम से कराए गए सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष **₹ 314732/-** की धनराशि की रॉयल्टी की कटौती कर चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करायी गयी थी। उक्त रॉयल्टी की कटौती के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को दिए जाने वाली रॉयल्टी का **25 *प्रतिशत*** अतिरिक्त रूप में जमा नहीं कराया गया था। उक्त चालानों एवं धनराशियों का विवरण निम्नवत् थाः-

क्रम संख्या	चालान संख्या	दिनांक	चालान के द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को देय 25 *प्रतिशत* रॉयाल्टी की धनराशि, जो कि इकाई द्वारा जमा नहीं करायी गयी थी
01	e-chalan	17.05.2020	5936	1484
02	e-chalan	13.12.2019	6600	1650
03	e-chalan	30.04.2020	10416	2604
04	e-chalan	21.01.2020	8781	2195.25
05	e-chalan	30.30.2020	18883	4720.75
06	e-chalan	13.12.2019	19453	4863.25
07	e-chalan	29.02.2020	23868	5967
08	e-chalan	01.03.2020	16849	4212.25

09	e-chalan	21.01.2020	8781	2195.25
10	e-chalan	25.01.2019	12471	3117.75
11	e-chalan	30.03.2020	20643	5160.75
12	e-chalan	05.09.2019	9720	2430
13	e-chalan	05.08.2019	23536	5884
14	e-chalan	16.07.2020	22017	5504.25
15	e-chalan	25.02.2020	53313	13328.25
16	e-chalan	31.03.2020	15387	3846.75
17	e-chalan	18.12.2019	16556	4139
18	13	05.08.2018	21522	5380.5
कुल योग			**314732**	**78683**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास हेतु धनराशि नहीं काटी गई। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 *प्रतिशत* अतिरिक्त रूप में जमा किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, जिला न्यास अंशदान की धनराशि ₹ 78683/- की कटौती कर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा नहीं कराए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-03: **इकाई द्वारा 04 कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना,जिसके कारण कार्मिको को वेतन/ भत्तों का धनराशि ₹ 0.45 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 290/xxvii(7)50(16)/2016 दिनांकित 28 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित **उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016** के :-

नियम संख्या 10(1) के अनुसार "वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भांति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01जुलाई होगी "

नियम संख्या 10(3) के अनुसार " ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नती या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नती या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत 04 कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि 03/01/2017 थी। अत: उक्त नियमानुसार कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि 01/01/2018 को दी जानी चाहिए थी क्योंकि नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए कम से कम 06 माह की सेवा होनी जरूरी होती है। परंतु इकाई द्वारा 04 कार्मिकों को उक्त नियम के विपरीत 01/07/2017 को ही वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी गयी थी। समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि देने के फलस्वरूप इकाई द्वारा धनराशि **₹ 45144/-** का अधिक भुगतान (**संलग्नक के अनुसार)** किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि जानकारी के अभाव में वेतन वृद्धि दी गयी संबन्धित कर्मचारियों से वसूली कर ली जाएगी ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नियमानुसार कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि 01/01/2018 को दी जानी चाहिए थी क्योंकि नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए कम से कम 06 माह की सेवा होनी जरूरी होती है। परंतु इकाई द्वारा 04 कार्मिकों को उक्त नियम के विपरीत 01/07/2017 को ही वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी गयी थी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Name of employee Shri Bhopal (Paryawaran Mitra)						
Month	Pay Due	Drawn	Difference of pay	DA RATE	DA	Total
Jul-17	18000	18500	500	5	25	525
Aug-17	18000	18500	500	5	25	525
Sep-17	18000	18500	500	5	25	525
Oct-17	18000	18500	500	5	25	525
Nov-17	18000	18500	500	5	25	525
Dec-17	18000	18500	500	5	25	525
Jan-18	18500	18500	0	7	0	0
Feb-18	18500	18500	0	7	0	0
Mar-18	18500	18500	0	7	0	0
Apr-18	18500	18500	0	7	0	0
May-18	18500	18500	0	7	0	0
Jun-18	18500	18500	0	7	0	0
Jul-18	18500	19100	600	9	54	654
Aug-18	18500	19100	600	9	54	654
Sep-18	18500	19100	600	9	54	654
Oct-18	18500	19100	600	9	54	654
Nov-18	18500	19100	600	9	54	654
Dec-18	18500	19100	600	9	54	654
Jan-19	19100	19100	0	12	0	0
Feb-19	19100	19100	0	12	0	0
Mar-19	19100	19100	0	12	0	0
Apr-19	19100	19100	0	12	0	0
May-19	19100	19100	0	12	0	0
Jun-19	19100	19100	0	12	0	0
Jul-19	19100	19700	600	17	102	702
Aug-19	19100	19700	600	17	102	702
Sep-19	19100	19700	600	17	102	702
Oct-19	19100	19700	600	17	102	702
Nov-19	19100	19700	600	17	102	702
Dec-19	19100	19700	600	17	102	702
Jan-20	19700	19700	0	17	0	0
Feb-20	19700	19700	0	17	0	0
Mar-20	19700	19700	0	17	0	0
					Total	11286

Name of employee Shri Jaypaal (Paryawaran Mitra)						
Month	Pay Due	Drawn	Difference of pay	DA RATE	DA	Total
Jul-17	18000	18500	500	5	25	525
Aug-17	18000	18500	500	5	25	525
Sep-17	18000	18500	500	5	25	525
Oct-17	18000	18500	500	5	25	525
Nov-17	18000	18500	500	5	25	525
Dec-17	18000	18500	500	5	25	525
Jan-18	18500	18500	0	7	0	0
Feb-18	18500	18500	0	7	0	0
Mar-18	18500	18500	0	7	0	0
Apr-18	18500	18500	0	7	0	0
May-18	18500	18500	0	7	0	0
Jun-18	18500	18500	0	7	0	0
Jul-18	18500	19100	600	9	54	654
Aug-18	18500	19100	600	9	54	654
Sep-18	18500	19100	600	9	54	654
Oct-18	18500	19100	600	9	54	654
Nov-18	18500	19100	600	9	54	654
Dec-18	18500	19100	600	9	54	654
Jan-19	19100	19100	0	12	0	0
Feb-19	19100	19100	0	12	0	0
Mar-19	19100	19100	0	12	0	0
Apr-19	19100	19100	0	12	0	0
May-19	19100	19100	0	12	0	0
Jun-19	19100	19100	0	12	0	0
Jul-19	19100	19700	600	17	102	702
Aug-19	19100	19700	600	17	102	702
Sep-19	19100	19700	600	17	102	702
Oct-19	19100	19700	600	17	102	702
Nov-19	19100	19700	600	17	102	702
Dec-19	19100	19700	600	17	102	702
Jan-20	19700	19700	0	17	0	0
Feb-20	19700	19700	0	17	0	0
Mar-20	19700	19700	0	17	0	0
					Total	**11286**

Name of employee Shri chatrpaal (Paryawaran Mitra)						
Month	**Pay Due**	**Drawn**	**Difference of pay**	**DA RATE**	**DA**	**Total**
Jul-17	18000	18500	500	5	25	525
Aug-17	18000	18500	500	5	25	525
Sep-17	18000	18500	500	5	25	525
Oct-17	18000	18500	500	5	25	525
Nov-17	18000	18500	500	5	25	525
Dec-17	18000	18500	500	5	25	525
Jan-18	18500	18500	0	7	0	0
Feb-18	18500	18500	0	7	0	0
Mar-18	18500	18500	0	7	0	0
Apr-18	18500	18500	0	7	0	0
May-18	18500	18500	0	7	0	0
Jun-18	18500	18500	0	7	0	0
Jul-18	18500	19100	600	9	54	654
Aug-18	18500	19100	600	9	54	654
Sep-18	18500	19100	600	9	54	654
Oct-18	18500	19100	600	9	54	654
Nov-18	18500	19100	600	9	54	654
Dec-18	18500	19100	600	9	54	654
Jan-19	19100	19100	0	12	0	0
Feb-19	19100	19100	0	12	0	0
Mar-19	19100	19100	0	12	0	0
Apr-19	19100	19100	0	12	0	0
May-19	19100	19100	0	12	0	0
Jun-19	19100	19100	0	12	0	0
Jul-19	19100	19700	600	17	102	702
Aug-19	19100	19700	600	17	102	702
Sep-19	19100	19700	600	17	102	702
Oct-19	19100	19700	600	17	102	702
Nov-19	19100	19700	600	17	102	702
Dec-19	19100	19700	600	17	102	702
Jan-20	19700	19700	0	17	0	0
Feb-20	19700	19700	0	17	0	0
Mar-20	19700	19700	0	17	0	0
					Total	**11286**

Name of employee Shrimati Dayavati (Paryawaran Mitra)						
Month	**Pay Due**	**Drawn**	**Difference of pay**	**DA RATE**	**DA**	**Total**
Jul-17	18000	18500	500	5	25	525
Aug-17	18000	18500	500	5	25	525
Sep-17	18000	18500	500	5	25	525
Oct-17	18000	18500	500	5	25	525
Nov-17	18000	18500	500	5	25	525
Dec-17	18000	18500	500	5	25	525
Jan-18	18500	18500	0	7	0	0
Feb-18	18500	18500	0	7	0	0
Mar-18	18500	18500	0	7	0	0
Apr-18	18500	18500	0	7	0	0
May-18	18500	18500	0	7	0	0
Jun-18	18500	18500	0	7	0	0
Jul-18	18500	19100	600	9	54	654
Aug-18	18500	19100	600	9	54	654
Sep-18	18500	19100	600	9	54	654
Oct-18	18500	19100	600	9	54	654
Nov-18	18500	19100	600	9	54	654
Dec-18	18500	19100	600	9	54	654
Jan-19	19100	19100	0	12	0	0
Feb-19	19100	19100	0	12	0	0
Mar-19	19100	19100	0	12	0	0
Apr-19	19100	19100	0	12	0	0
May-19	19100	19100	0	12	0	0
Jun-19	19100	19100	0	12	0	0
Jul-19	19100	19700	600	17	102	702
Aug-19	19100	19700	600	17	102	702
Sep-19	19100	19700	600	17	102	702
Oct-19	19100	19700	600	17	102	702
Nov-19	19100	19700	600	17	102	702
Dec-19	19100	19700	600	17	102	702
Jan-20	19700	19700	0	17	0	0
Feb-20	19700	19700	0	17	0	0
Mar-20	19700	19700	0	17	0	0
					Total	**11286**

<u>**भाग दो (ब)**</u>

प्रस्तर-04: सामग्री क्रय में निविदा में स्वीकृत दर से अधिक दरों पर भुगतान किये जाने के परिणाम स्वरुप धनराशि ₹ 94,820/- का अधिक भुगतान किया जाना।

कार्यालय द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में विद्युत एवं सफाई उपकरणों के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि माह जून 2017 में विभिन्न सामग्रियों के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की गयी। 03 फर्मो की निविदा प्राप्त हुई जिसमें से 02 फर्मो द्वारा अपनी दरों में कर अतिरिक्त देय होगा, का उल्लेख किया गया तथा एक फर्म अमित ट्रेडर्स की दरों में कर अतिरिक्त का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। दिनांक 15.06.2017 को तैयार तुलनपत्र के अनुसार अमित ट्रेडर्स की 03 सामग्रियों का दर न्यूनतम पाया गया तथा दिनांक 30.06.2017 को उक्त तीनों सामग्रियों के क्रय के लिए क्रय आदेश जारी किया गया। फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति के उपरान्त प्रस्तुत देयकों में स्वीकृत दरों के अतिरिक्त रुप से जी.एस.टी. जोडा गया था जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार से उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत धनराशि ₹ 5,53,420/- के देयक में जी.एस.टी. के रुप में धनराशि ₹ 84,420/- का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में विभिन्न सफाई उपकरणों के साथ ब्लिचिंग पाउडर क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी। दिनांक 10.08.2018 को तैयार तुलनपत्र के अनुसार मे0 जीशान अहमद द्वारा दी गयी दर ₹ 1060 प्रति बैग न्यूनतम थी। परन्तु कार्यालय द्वारा आपूर्ति आदेश मे0 मिडडास ग्रीन टैक को धनराशि ₹ 1150 प्रति बैग की दर से 100 बैग क्रय करने के लिए जारी की गयी। परिणामस्वरुप उक्त क्रय में धनराशि ₹ 90 प्रतिबैग अधिक दर से भुगतान करना पडा। इस प्रकार से कार्यालय द्वारा ब्लिचिंग पाउडर क्रय में मय जी.एस.टी कुल धनराशि ₹ 10,400/- अधिक का भुगतान किया गया। इस प्रकार से उक्त दोनों सामग्रियों के क्रय में निविदा में स्वीकृत दरों का पालन न कर धनराशि ₹ 94,820/- (₹ 84,420+₹ 10,400) का अधिक भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण क्रय आदेश जारी किया गया। यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही होगी।

अतः सामग्री क्रय में निविदा में स्वीकृत दर से अधिक दरों पर भुगतान किये जाने के परिणाम स्वरुप धनराशि ₹ 94,820/- का अधिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-05: ठेकेदारों द्वारा तहबाज़ारी मद में पालिका को ₹ 8,10,775/- न चुकाने से राजस्व हानि।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लक्सर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में तहबाज़ारी वसूल करने हेतु विभिन्न वर्षों में नीलामी के माध्यम से ठेके दिए जा रहे थे और साथ ही ठेकेदारों द्वारा पालिका को तहबाज़ारी की किस्तें समय पर नहीं चुकाई जा रही थी जिनकी वसूली लंबित थी। विवरण निमन्वत है:-

वर्ष	ठेकेदार का नाम	ठेके की लागत ₹	किस्त जमा करने की अवधि	टिप्पणी
2017-18	श्री वहीद	903000	प्रथम किस्त ठेके के तुरंत बाद, द्वितीय जुलाई, तृतीय अक्टूबर एवं चतुर्थ जनवरी में।	ठेकेदार से ₹ 232250 की वसूली शेष
2018-19	श्री सुखपाल	904000	प्रथम किस्त ठेके के तुरंत बाद, द्वितीय जुलाई, तृतीय अक्टूबर एवं चतुर्थ जनवरी में।	ठेकेदार से ₹ 278500 की वसूली शेष
2019-20	श्री इस्तियाक	904500	प्रथम किस्त ठेके के तुरंत बाद, द्वितीय जुलाई, तृतीय अक्टूबर एवं चतुर्थ जनवरी में।	ठेकेदार से ₹ 300025 की वसूली शेष
	कुल अवशेष वसूली			₹ 810775

इस प्रकार ठेकेदारो पर नगर पालिका का कुल ₹ 8,10,775/- बकाया था जिसमें वर्ष 2017-18 की धनराशि भी शामिल है। वसूली हेतु पालिका द्वारा समय-समय पर संबंधितों को नोटिस जारी किये गए थे फिर भी ठेकेदारों द्वारा पालिका को उक्त धनराशि नहीं चुकाई गई।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर उत्तर दिया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण तहबाज़ारी ठेके दिए गए साथ ही उक्त ठेकेदारों के विरुद्ध आर सी द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय-समय पर आम जनता द्वारा भी ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली करने की शिकायत की गई थी। यही नहीं, ठेकेदारों द्वारा बार-बार समय पर किश्तें जमा न किये जाने के बाद भी तहबाज़ारी का ठेका दिया जाता रहा।

अतः ठेकेदारों द्वारा तहबाज़ारी मद में पालिका को ₹ 810775 न चुकाने से राजस्व हानि होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-06: पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि।

उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू.प्रौ./2018 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रान्तार्गत Optical Fibre Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, " Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one-time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5(five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed Rs. 10,000 per month.

Further, an amount of ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure providers as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licensees shall pay ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office."

कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर, के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा एक मोबाईल ऑपरेटर से वर्ष 2015-16 के दौरान 'one time' permission fee प्राप्त किया गया था परंतु उसके बाद किसी भी अन्य मोबाईल टॉवर से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में पालिका क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं है और न ही इकाई द्वारा मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर उत्तर दिया गया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में कुल मोबाईल टॉवरों की संख्या ज्ञात करने और उनसे वसूली हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया जिससे संभावित राजस्व की हानि हुई।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-07: अनुबंधों में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क न लिए जाने से ₹ 82420 की राजस्व वसूली न होना।

भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवं अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल संपति को स्थानांतरण आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी है ताकि शासकीय आय में वृद्धि हो सके। नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बंध में अपर महानिरीक्षक निबंधक उत्तराखंड, देहारादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म0नि0नि0/2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ठेकों पर ठेकों कि सम्पूर्ण राशि के 2% कि दर से स्टाम्प शुल्क कि वसूली की जानी चाहिए। इसी सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबंध स्टाम्प कि धारा (2) (16) के अंतर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 कि धारा -17 के अनुसार अचल संपति से संबन्धित सभी ठेकों का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9 के पत्रांक संख्या 69/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2010 दिनांकित 08 अगस्त 2017 के द्वारा सभी विभागों को अनिवार्य रूप से ठेकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आदेश जारी किये थे। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अधिकारी उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथिलता का प्रदर्शन करेगा तो शासकीय राजस्व की हानि के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नगर पालिका परिषद, लक्सर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई थी और न ही इन ठेकों का पंजीकरण किया गया था।

ठेकेदार का नाम	ठेके का विवरण	ठेके की धनराशि ₹	स्टाम्प शुल्क ₹	रेजिस्ट्रैशन शुल्क ₹
श्री वहीद	तहबाज़ारी ठेका वर्ष 2017-18	903000	18060	18060
श्री इस्तियाक खान	तहबाज़ारी ठेका वर्ष 2019-20	904500	18090	18090
श्री वहीद	ठेका होर्डिंग बोर्ड वर्ष 2017-18	62000	1240	1240
श्री जितेंद्र कुमार	पार्किंग ठेका वर्ष 2017-18	191000	3820	3820
		2060500	41210	41210

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्टाम्प ड्यूटी ₹ 41,210/- तथा पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 41,210/- कुल ₹ 82,420/- के राजस्व की हानि हुई है।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर उत्तर दिया गया कि इस संबंध में जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधिनियमों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे जिनका अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण राजस्व की हानि हुई।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-08: अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि ₹ 18.65 लाख के निर्माण कार्य सम्पादित न होने की दशा में विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अवरुद्ध रहना।

नगर पालिका परिषद, लक्सर के अवस्थापना विकास निधि के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करायी गयी विवरण एवं अन्य अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के पूर्व से इकाई के पास धनराशि ₹ 56.84 लाख अवशेष के रुप में पड़ी थी जिसमें से वर्ष 2018-19 में धनराशि ₹ 42.04 लाख का व्यय किया गया था। वर्ष 2019-20 के अन्त में इकाई के पास योजनान्तर्गत ब्याज एवं अन्य प्राप्तियों की धनराशि ₹ 3.85 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रु0 18.65 लाख अवशेष के रुप में दर्शित थी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अवस्थापना मद में उक्त धनराशि का आवंटन वर्ष 2017-18 से पूर्व का है तथा योजान्तर्गत लेखापरीक्षा अवधि में केवल वर्ष 2018-19 में व्यय किया गया था। अतः अवस्थापना विकास मद में धनराशि ₹ 18.65 लाख मय ब्याज विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अवरुद्ध पडा थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि अवशेष धनराशियों में 03 निर्माण कार्य अन्य योजना से निर्मित होने के कारण निर्माण नहीं हुआ तथा शेष अर्जित ब्याज की धनराशि है, जिसे यथाशीघ्र सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करने की कार्यवाही की जाएगी।

अतः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि ₹ 18.65 लाख निर्माण कार्य सम्पादित न होने की दशा में विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अवरुद्ध रहने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर, हरिद्वार

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2017-18

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	3521000	8841000	12362000	6374168	5987832
2	राज्य वित्त आयोग	1702838.77	62000740	63703578.77	40205258	23498320.77
3	अवस्थापना विकास निधि (old)	5576871	207730	5784601	0	5784601
4	अवस्थापना विकास निधि PNB	107407.09	1139	108546.09	17.25	108528.84
5	स्वच्छ भारत मिशन	0	1061021	1061021	211128	849893
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	13840000	459170	14299170	0	14299170
7	रैन बसेरा	341114	94915	436029	384852	51177
8	पालिका निधि (HDFC)	5325	449526	454851	219496	235355
9	पालिका निधि (Indian Overseas bank)	623015.61	3603032	4226047.61	3274824.3	951223.31
10	पालिका निधि (SBI)	10855028.6	16965809	27820837.6	15891189	11929648.6
11	Post office a/c	2202	0	2202	0	2202
	योग	**36574802.07**	**93684082**	**130258884.1**	**66560932.55**	**63697951.52**

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2018-19

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	5987832	19944000	25931832	12984242	12947590
2	राज्य वित्त आयोग	23498320.77	71634000	95132320.77	49614593	45517727.77
3	अवस्थापना विकास निधि (old)	5784601	112334	5896935	4204139.5	1692795.5
4	अवस्थापना विकास निधि	108528.84	6936	115464.84	123.9	115340.94
5	स्वच्छ भारत मिशन	849893	156057	1005950	365160	640790
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	14299170	19441827	33740997	29840000	3900997
7	रैन बसेरा	51177	906978	958155	907370	50785
8	पालिका निधि (HDFC)	235355	2872083	3107438	2995236	112202
9	पालिका निधि (Indian Overseas bank)	951223.31	794458	1745681.31	690002.3	1055679.01
10	पालिका निधि (SBI)	11929648.6	15362212	27291860.6	24979093	2312767.6
11	Post office a/c	2202	0	2202	0	2202
12	पालिका निधि (Indian bank)	0	2505303	2505303	264140	2241163
	योग	**63697951.52**	**133736188**	**197434139.5**	**126844099.7**	**70590039.82**

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2019-20

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	12947590	17133000	30080590	12392080	17688510
2	राज्य वित्त आयोग	45517727.77	69273000	114790727.8	63270031	51520696.77
3	अवस्थापना विकास निधि (old)	1692795.5	53348	1746143.5	0	1746143.5
4	अवस्थापना विकास निधि	115340.94	3952	119292.94	88.5	119204.44
5	स्वच्छ भारत मिशन	640790	4255420	4896210	1777781	3118429
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	3900997	16607611	20508608	18680000	1828608
7	रैन बसेरा	50785	1805	52590	0	52590
8	पालिका निधि (HDFC)	112202	2825606	2937808	2759314.68	178493.32
9	पालिका निधि (Indian Overseas bank)	1055679.01	167580	1223259.01	856146	367113.01
10	पालिका निधि (SBI)	2312767.6	6707075	9019842.6	7909324	1110518.6
11	Post office a/c	2202	0	2202	0	2202
12	पालिका निधि (Indian bank)	2241163	70351	2311514	1465622	845892
13	NULM	0	1655906	1655906	540882	1115024
	योग	**70590039.82**	**118754654**	**189344693.8**	**109651269.2**	**79693424.64**

भाग-III

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार के वित्तीय वर्ष 04/2017 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री रविन्द्र सिंह, व. लेखापरीक्षक, श्री अशोक कुमार एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2021 से 03.03..2021 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
01	21/2015-16	शून्य	01 से 02	01 से 04 तक	
02	122/2017-18	शून्य	01 से 03	शून्य	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका। अतः समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- सामान्य -

भाग-V
आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए-

(i)

3- सतत अनियमितताएं-

(i)

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री मो. गौहर हयात	अधिशासी अधिकारी	24.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी /AMG-II